फाइल संख्या-71-1001/231/2020

16/2023/।/275874/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 16 फरवरी, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2022-23/547, दिनांक 02.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 2491.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-87/2016/433/71-1-16-जी-263/2015, दिनांक 30.03.2016 एंव प्रथम किश्त के रूप में रू0 996.77 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-जी-28/2021/51792/71-1-2021-जी-263/2015, दिनांक 15.02.2021 द्वारा रू0 373.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रायोजना हेतु कुल रू0 1370.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 02.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-4000- मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में अवशेष देय धनराशि **रू0 498.40 लाख (रू0 चार करोड़ अट्ठानवे लाख चालीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रधानाचार्य द्वारा थर्ड पार्टी रिपोर्ट संतोषजनक होने के उपरांत ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा।
3. प्रायोजना के कार्य की प्रगति अपेक्षित नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है। अत: इस सम्बन्ध में पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
7. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. शासनादेश संख्या-87/2016/433/71-1-16-जी-263/2015, दिनांक 30.03.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,98,40,000 (रुपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054000 मेडिकल कालेज, प्रयागराज मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 /2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तनुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपी सिडको) (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निगम, लि0), गोमतीनगर, लखनऊ।
7. श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।